न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः— 608/2016
निर्णय दिनांकः— 25.04.2025
पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. कालूराम पुत्र मंगला जाति बारागॉव निवासी जसालों का मौहल्ला कस्बा फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र सीताराम
2. रामलाल पुत्र सीताराम
3. जसराज पुत्र सीताराम
4. हरि पुत्र बिरदीचन्द
   समस्त जातियान बारागॉव निवासी जसालों का मौहल्ला फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
5. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः— श्री भोजराज सिंह राजावत अधिवक्ता वादी

वाद स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः— 25.04.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 4107, 4109/1, 4110, 4111, 4119, 4120/1, 4121, 4126/3, 4130/1 कुल किता 09 कुल रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका वादी एकमात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर शान्ति पूर्वक काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। उक्त आराजी वादी की खातेदारी भूमि है जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। वादी के लगवा ही प्रतिवादीगण की भूमि है। प्रतिवादीगण जोकि

झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर जबरन अपना कब्जा करना चाहते है। इस बाबत आये दिन वादी से लड़ाई झगड़ा करते रहते है। जबकि वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। वादी ने अपनी खातेदारी भूमि में काफी पैसा खर्च कर व मेहनत से उन्नत व उपजाऊ बना लिया है। इस कारण वादी की खातेदारी भूमि एवं कब्जे काश्त की भूमि काफी कीमती हो गई है जबकि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। अभी हाल ही में दिनांक 05/11/16 को वादी अपनी आराजी की सार संभाल व काश्त करने हेतु मौके पर गया तो प्रतिवादीगण अन्य लोगो के साथ मौके पर आये तथा वादी को आराजी भूमि पर काश्त करने से रोकने लग गये जब वादी ने इसका कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि उक्त आराजी पर हम अपना कब्जा करेंगे तथा आयन्दा उक्त भूमि पर मत आना तथा वादी को आराजी से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने लगे। इस कारण वादी यह वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है कि वो वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि में काश्त करने उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें तथा वादी की आराजी पर जबरन कब्जा करे। जबकि वादी को यह कानूनी हक व अधिकार प्राप्त है कि वो प्रतिवादीगण द्वारा उसकी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग व काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से प्रतिवादीगण को जरिये न्यायालय स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा देवें। वादी को वाद कारण दिनांक 05/11/2016 को तब उत्पन्न हुआ जब वादी अपनी आराजी की सार संभाल करने व काश्त करने हेतु मौके पर गया तो प्रतिवादीगण मौके पर अन्य लोगो के साथ आये तथा वादी को आराजी भूमि पर काश्त करने से रोकने लग गये जब वादी ने इसका कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि उक्त आराजी पर हम अपना कब्जा करके रहेगे तथा आयन्दा उक्त भूमि पर मत आना तथा वादी को आराजी से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने से

प्रतिलिपि अधिकारी
फलोदी

वादी को वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है जो वाद वादी उत्पन्न होने वाद कारण से अन्दर मियाद पेश है। वाद पत्र को सुनने एवं निस्तारण करने का श्रीमान न्यायालय को श्रवर्णाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

2. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के हाजिर अदालत नही आये। प्रतिवादीगण के विरूद्व दिनांक 07.04.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3. वकील वादी ने कोई साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया। साक्ष्य वादी बन्द की गई।

4. बहस एकतरफा सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

5. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2068 — 2071 वाके ग्राम फागी दक्षिण की उक्त विवादग्रस्त आराजी मे वादी रिकार्डेड खातेदार है। वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा सं0 2 मे अंकित किया है कि प्रतिवादीगण की भूमि वादी की भूमि के लगवा ही स्थित है। प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है। इसलिये प्रतिवादीगण हाजिर अदालत नही होने के कारण अपने पक्ष मे कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने मे असमर्थ रहे है।

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत, काश्तकारों को गलत तरीके से बेदखल किए जाने के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है, और उन्हें भूमि पर उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जा सकता है. यह अधिनियम काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि किसी भी काश्तकार को उसकी कृषि भूमि से अवैध रूप से बाहर न निकाला जाए"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण वादी के पडौसी खातेदार होने के कारण वादी से लडाई झगडा करने मे आमादा प्रतीत होते है तथा वादी को अपने कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करंने पर उतारू हो एवं वादी को कोई जनहानि या किसी

उपखण्ड अधिकारी
फागी

प्रकार की क्षति हो इसलिये हम वादी का वाद स्वीकार किया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 4107, 4109/1, 4110, 4111, 4119, 4120/1, 4121, 4126/3, 4130/1 कुल किता 09 कुल रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजीयात मे वादी के कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत नही करे ना अन्य से करावे, वादी को अपने हिस्से की आराजी के कब्जे से बेदखल नही करे व ना अन्य से करावे। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/4/26
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते